कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या- 830 /III(2)/08-29(प्रा0आ0)

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 25 मार्च, 20[illegible]

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 में स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान(एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत 48 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची के अनुसार उपलब्ध कराये 48(अड़तालीस) कार्यों के लागत कुल रूपये 10656.15 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 9901.21 लाख (रूपये निन्यानवे करोड़ एक लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि की उनके सम्मुख कॉलम-5 पर अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कॉलम-6 मे अंकित विवरणानुसार कुल रू0 4.80 लाख (रू0 बीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों ... जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करते के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यो में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी ... स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य कर लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा ... प्रयोग की जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

11. [illegible]

Photo Copy

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बड़कोट (उत्तरकाशी)

(8)

12. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2008 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाये। कार्य कराते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किन्ही अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

17. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-30 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़के-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

18. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-362/XXVII(2)/2008 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- 48 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या- (1)/III(2)/08-29(प्राआ0)/07, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमाऊँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

द्वारा

दि० 25/3/08

प्रति:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

Photo Copy AE.

सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0

SCST (3)

शासनादेश संख्या- 830 / III(2)/08-29(प्रा.आ.)/07, दिनांक 24 मार्च, 2008 का संलग्नक ।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	लागत (लाख रू0) में	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2007-08 में ... की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	चमोली में वि0ख0 घाट के अन्तर्गत जोखना सेंगा बुरा तक मोटर मार्ग निर्माण	7.00 + 1 सेतु	233.33	233.33	0.10
2.	चमोली में वि0ख0 घाट के अन्तर्गत ग्राम प्राणमती तक मोटर मार्ग निर्माण	10.00	270.80	270.80	0.10
3.	चमोली में वि0ख0 कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली थुलाकोट बेनीताल मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	81.24	81.24	0.10
4.	कफडा छब्बीसा ह0वा0 मोटर मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन तथा पुनः निर्माण तथा सुधार कार्य	3.00	77.40	77.40	0.10
5.	पौड़ी में रा0इ0का0 ओजली (खांड्यू सैण) से ग्राम ब्राहमण कफलना तक मोटर मार्ग निर्माण	4.00	85.40	85.40	0.10
6.	पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मदनपुर नैनी मोटर मार्ग एवं मोटर सेतु की नई दरों पर अवशेष कार्यों का निर्माण।		75.70	75.70	0.10
7.	अल्मोड़ा में नौला-रैखलधार (मटेला) मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	117.00	117.00	0.10
8.	अल्मोड़ा में दन्या-बेलक-दियारखोली मोटर मार्ग का निर्माण	7.00	182.79	182.79	0.10
9.	पिथौरागढ में सातसिलिंग-थल मोटर मार्ग से रिण तक मोटर मार्ग का निर्माण (2.00 किमी0) एवं दो पुल।		136.40	136.40	0.10
10.	अल्मोड़ा में नौला-स्यौतरा-महरनैल मोटर मार्ग का स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत नव निर्माण	10.00	233.00	233.00	0.10
11.	अल्मोड़ा में वि0ख0 लमगड़ा के अन्तर्गत ढौरा-रतखान मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार का कार्य	2.00	35.00	35.00	0.10
12.	जनपद बागेश्वर में ग्राम थकलाड के पास गोमती नदी में 64 मी0 विस्तार स्टील गर्डर मोटर सेतु एवं फटगली-थकलाड-विलेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य	10.00	617.40	610.40	0.10
13.	अल्मोड़ा में सिरोनिगा से डालाकोट-नगरखान ग्राम हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण	5.00	130.56	130.56	0.10
14.	जनपद अल्मोड़ा में टाट बैण्ड ढैली, नौरा, वल्ला, बड़गूड़ा, टाना मटेना मोटर मार्ग के निर्माण		442.00	442.00	0.10
15.	कापसखाल (चौड़ मी0 से मरोड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण)	5.00	86.25	86.25	0.10
16.	नैनीताल में प्रगराडी से पोखरी मोटर रोड का निर्माण	3.00	64.20	64.20	0.10
17.	जनपद नैनीताल में सुरगाने बैण्ड से मल्ला मल्ना मोटर रोड का निर्माण	3.00	64.20	64.20	0.10
	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड पुरोला में भारसाली पुल (सरनौल) से सरबडियार हेतु मोटर मार्ग के निर्माण	12.00	296.88	296.88	0.10

Photo Copy

सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Scanned by CamScanner

SCSP (5)

19.	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में बनीगाड़ से बने वन विभाग के मार्ग में स्थित गढसार से कमरगढ़ी खेड़ा–कामरा मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित(वन विभाग के मार्ग को छोड़कर)	10.00	604.68	279.93	0.10
20.	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकास खण्ड पायों के अन्तर्गत चौंपड़ियू–कुलमोर–स्वीकृत मोटर मार्ग निर्माण	12 मी0 एवं 18 मी0	33.90	33.90	0.10
21.	जनपद कोलू [illegible] तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.50	25.87	25.87	0.10
22.	जनपद रुद्रप्रयाग में जखोली ब्लाक के अन्तर्गत छेनागाड़ बक्सीर मोटर मार्ग के नव निर्माण	10.00	168.00	168.00	0.10
23.	विकास खण्ड कोट के ग्राम कटुड़ की हरिजन बस्ती को पौड़ी देवप्रयाग से जोड़ने के लिये मोटर मार्ग का नव निर्माण	6.00	129.70	129.70	0.10
24.	जनपद चमोली में कुहेड़–मैठाणा–पलेठी हल्का वाहन मार्ग से ग्राम मथरपाल, नैथोली (अनु0 जाति) तक मोटर मार्ग निर्माण		814.00	813.70	0.10
25.	बजूण से नकोट भद्री, गड़थ अन्य पिछड़ा ग्राम तक मोटर मार्ग निर्माण	2.50	52.72	52.72	0.10
26.	अल्मोड़ा में वि0ख0 लमगड़ा के अन्तर्गत विश्वनाथ– जसकोट ह0वा0 मोटर मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन/पुनः निर्माण/सुधार का कार्य	3.00	77.40	64.50	0.10
27.	पिथौरागढ़ में राईआगर सेलीपाख मोटर मार्ग का निर्माण	7.00	187.11	124.60	0.10
28.	जौनपुर ब्लाक में बड़ेथी–वनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग से ग्राम हड़िया गॉव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2.00	32.40	32.40	0.10
29.	चमोली में बगोली से स्यान–किसनपुर मोटर मार्ग एवं पिण्डर नदी के ऊपर लौह सेतु का निर्माण	6.00+80मी0 सेतु	397.20	397.20	0.10
30.	वि0ख0 नारायणबगड़ में सुनाली–दशोलीखाल भटियांणा मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य	15.00	213.00	213.00	0.10
31.	वि0ख0 मोरी में टिकोची मोटर पुल से जागटा तक मोटर मार्ग का निर्माण.	10.00	237.10	237.10	0.10
32.	जौनपुर ब्लाक में आर.के.के. मोटर मार्ग पर स्थित भरवकाटल से श्रीपुर 5.00 किमी0 के मोटर मार्ग का निर्माण।	5.00	135.00	135.00	0.10
33.	खण्डाह–गिरगांव मोटर मार्ग का मैठाणा गांव तक विस्तार	3.00	144.90	51.75	0.10
34.	पौड़ी में खण्डाह–गिरगांव मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	6.00	121.50	121.50	0.10
35.	पौड़ी में दिगोली से अम्बेडकर ग्राम मरगुण तक मोटर मार्ग के अवशेष भाग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	3.50	66.42	66.42	0.10
36.	पौड़ी में खण्डाह–[illegible]–खोला ह0वा0 मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित कर पक्कीकरण का कार्य एवं ग्राम खोला तक मोटर मार्ग का विस्तार	9.00	97.50	97.50	0.10
37.	पौड़ी में [illegible]–[illegible]–नकोट–अम्बेडकर ग्राम [illegible] मोटर मार्ग का निर्माण	29.00	516.00	516.00	0.10
38.	पौड़ी में [illegible]	8.00	170.80	170.80	0.10

Photo copy

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Scanned by CamScanner

(69) (75)

(11)

(8)

	मोटर मार्ग का निर्माण				
39.	अदवाणी नाहरसैंण यहेड़ाखाल मोटर मार्ग के कमी0 23 में से भण्डाहू-डंगलधार अमसारी-भूतसीणी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	5.00	86.25	86.25	0.10
40.	घिण्डवाड़ा-वजूण-गोदी-भरोड़ा-पयालगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण सेतु सहित	14.8 मी0 सेतु	251.10	251.10	0.10
41.	ब्यासघाट के खाण्ड़ा मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण	10.00	185.00	185.00	0.10
42.	पौड़ी में रामकुण्ड-देवप्रयाग से घुर्थ तक मोटर मार्ग का निर्माण	7.00	120.75	120.75	0.10
43.	बहेडाखाल खाण्डा मोटर मार्ग से खाण्डा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.5	25.87	25.87	0.10
44.	जनपद हरिद्वार के भगवान पुर ब्लाक में हरिजन बाहुल्य क्षेत्र में बन्जारेवाला से तेलपुरा-खेड़ी-शिकोहपुर-शिकरोढा-हजलोरा-बुग्गावाला-फिरोजपुर मार्ग का निर्माण		1846.35	1766.59	0.10
45.	पिथौरागढ में कनालीछीना से ल्वॉठी गॉव तक मोटर मार्ग का कार्य	3.00+ 1 सेतु	94.80	84.00	0.10
46.	पिथौरागढ में भागीचौरा-शक्तिपुर-बगन्ना गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण	12.00+ 1 सेतु	309.00	265.80	0.10
47.	बडेथखाल-गूम से बागी तक मोटर मार्ग का निर्माण दो सेतुओं सहित	8.00+ 35मी0 एवं 25मी0	234.40	234.40	0.10
48.	उधमसिंह नगर के अन्तर्गत रा0राजमार्ग किमी0 4 से थारूतिसौर तक सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण	3.00	47.88	47.88	0.10
	कुल योग		10656.15	9901.21	4.80

(रूपये चार लाख अस्सी हजार मात्र)

Photo copy 14.

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बड़कोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Scanned by CamScanner